पत्र सं०–3/एफ०–01–54/2024–................................../वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रविन्द्र नाथ गुप्ता,
अपर सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–......................................

विषय :– **सेवा विनियमन के प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0–10128, दिनांक–26.12.2003 के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे या पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की स्थिति में कुल प्रभार रहित अवधि (छुट्टी पर जाने की अवधि सहित) 180 दिन या उससे कम रहने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से तथा 180 दिन से अधिक रहने पर वित्त विभाग की सहमति से एक साथ विनियमित करने का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में सेवा विनियमन से संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति हेतु प्राप्त संचिकाओं के समीक्षोपरांत कतिपय मामलों में निम्नांकित त्रुटि/त्रुटियाँ पाई जाती है :–

(i) वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7474, दिनांक–14.08.2014 के अनुलग्नक में सेवा विनियमन से संबंधित जाँच पत्र की सभी प्रविष्टियों को सुस्पष्ट भरकर संचिका में संधारित नहीं किया जाना।

(ii) प्रभार रहित अवधि के शुरू से अंत तक सरकारी कर्मी के पदस्थापन हेतु विभाग में की गई कार्रवाई की तिथिवार तालिका संचिका में संधारित नहीं रहना।

(iii) जाँच पत्र एवं तिथिवार तालिका में सक्षम प्राधिकार (उप सचिव से अन्यून स्तर) का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं रहना।

(iv) जाँच पत्र में प्रभार रहित अवधि के विनियमन हेतु प्राप्त प्रस्ताव (अनिवार्य प्रतीक्षा/पदग्रहण काल विस्तार/देय छुट्टी/कोई अन्य तरीका) तिथिवार अंकित नहीं रहना। साथ ही कोई अन्य तरीका की स्थिति स्पष्ट नहीं रहना।

(v) जाँच पत्र में प्रभार रहित अवधि शुरू होने से तुरन्त पहले संबंधित सरकारी सेवक की स्थिति (कर्तव्य छुट्टी/निलंबित/कोई अन्य स्थिति में थे) स्पष्ट अंकित नहीं रहना।

(vi) देय अवकाश को किस अवकाश के रूप में विनियमित किया जाना है, के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया जाना। साथ ही कर्मी के आदेय अवकाश से संबंधित प्रतिवेदन संचिका में संधारित नहीं रहना।

(vii) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में दर्ज की गई उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य पर सक्षम प्राधिकार (प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर) का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं रहना।

(viii) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के साथ अध्ययन हेतु स्वीकृत अवकाश के विनियमन प्रस्ताव पर वित्त विभागीय पत्रांक–2731, दिनांक–11.03.2025 में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना।

(ix) संचिका में विनियमन से संबंधित कागजातों/साक्ष्यों की मूल अथवा अभिप्रमाणित छायाप्रति संधारित नहीं रहना।

(x) विनियमन प्रस्ताव के अनुरूप स्पष्ट अभिलेख/साक्ष्य संचिका में संधारित नहीं रहना (साक्ष्य के अनुरूप विनियमन स्वरूप गठित करने के पश्चात् ही संचिका भेजी जानी चाहिए)।

(xi) संचिका के पत्राचार भाग पर संधारित साक्ष्यों का पृष्ठांकन क्रमवार नहीं होना।

3. कंडिका–2 में अंकित त्रुटियों के कारण सेवा विनियमन के प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति देने में कठिनाई होती है तथा पृच्छोपरांत संचिका प्रशासी विभाग को वापस कर दिया जाता है, जिससे मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि मामले का ससमय निष्पादन हेतु प्रशासी विभाग द्वारा उपरोक्त कंडिका–2 एवं 3 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं नियमो के अन्तर्गत सभी अभिलेखों/कागजातों की भलीभाँति जाँच कर मंतव्य गठित करने के उपरांत ही विहित संशोधित जाँच पत्र एवं तिथिवार तालिका (संलग्न) पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संचिका सहमति/परामर्श हेतु भेजी जाय ।

अनु0 : 1. जाँच–पत्र
2. तिथिवार तालिका

विश्वासभाजन
ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 3/एफ–01–54/2024–................/वि०, पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि :– **महालेखाकार** (ले० एवं हक०) बिहार का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 3/एफ–01–54/2024–................/वि०, पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि :– **प्रभारी पदाधिकारी**, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 3/एफ–01–54/2024–6759/वि०, पटना, दिनांक–22/07/2026

प्रतिलिपि :– **सिस्टम ऐनालिस्ट**, वित्त विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.07.2026

(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।